## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— अशोक सांगवा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 45/2009

| **प्रार्थीगण** | **बनाम** | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| 1. मोतीपुरी पुत्र श्री मांगुपुरी<br>2. श्रवणपुरी पुत्र श्री मांगुपुरी<br>3. विद्यादेवी पत्नी श्री मांगुपुरी<br>जातियान स्वामी निवासीगण<br>होलपुर खुर्द, तहसील बिलाड़ा<br>जिला जोधपुर | | 1. चैनाराम पुत्र श्री मांगीलाल<br>2. किशनाराम पुत्र श्री मांगीलाल<br>3. माडीदेवी पुत्री श्री मांगीलाल<br>4. गवरीदेवी पुत्री श्री मांगीलाल<br>जातियान राईका निवासीगण<br>होलपुर खुर्द, तहसील बिलाड़ा<br>5. कंवराराम पुत्र श्री रामाराम<br>6. श्रीमति मीरादेवी पत्नी कंवराराम<br>जातियान विश्नोई निवासीगण<br>रावर तहसील बिलाड़ा जिला<br>जोधपुर<br>7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार<br>बिलाड़ा, जिला जोधपुर |

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 04.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी। प्रार्थीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नही। बार—बार आवाजे दिलायी गयी प्रार्थीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नही। इस प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूल राजस्व वाद संख्या 56/2009 मोतीपुरी वगैराह बनाम चैनाराम वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है।

चूकि मूल वाद खारीज हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारीज शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 56/2009 मोतीपुरी बनाम चैनाराम वगैराह के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा